न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या 124 / 2021

विकास पुत्र शीशराम उम्र 28 पेशा खेती जाति जाट निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू। (हाल तहसील मंडावा)।

—वादी

बनाम

1. कमला पुत्री चन्द्राराम उम्र 50 वर्ष पैशा खेती जाति जाट निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू। (हाल तहसील मंडावा)।
2. किशोर पुत्र चन्द्राराम उम्र 42 वर्ष पैशा खेती जाति जाट निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू। (हाल तहसील मंडावा)।
3. बोगीदेवी पत्नी चन्द्राराम उम्र 75 वर्ष पैशा खेती जाति जाट निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू। (हाल तहसील मंडावा)।
4. भागचन्द पुत्र टीकू उम्र 66 वर्ष पेशा खेती जाति जाट निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू। (हाल तहसील मंडावा)।
5. मनोज कुमार पुत्र महावीर उम्र 32 वर्ष पेशा खेती जाति जाट निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू। (हाल तहसील मंडावा)।
6. महीपाल पुत्र चन्द्राराम उम्र 46 वर्ष पैशा खेती जाति जाट निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू। (हाल तहसील मंडावा)।
7. रामनिवास पुत्र धन्नाराम उम्र 53 वर्ष पेशा खेती जाति जाट निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू। (हाल तहसील मंडावा)।
8. विमला पत्नी महावीर उम्र 55 वर्ष पेशा खेती जाति जाट निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू। (हाल तहसील मंडावा)।
9. संदीप कुमार पुत्र महावरी उम्र 27 वर्ष पेशा खेती जाति जाट निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू। (हाल तहसील मंडावा)।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू व जिला झुन्झुनू (हाल तहसील मंडावा)।
11. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू। (हाल तहसील मंडावा)।
12. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नूआ तहसील व जिला झुन्झुनू। (हाल तहसील मंडावा)।

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री विजय पाल सिंह — वादी की ओर से।

श्री श्रवण सैनी — राज्य सरकार की ओर से।

दावा बाबत घोषणार्थ, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखलयाबी हेतु

दिनांक - 20-06-2022

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वाद वादीगण दिनांक 02.05.2022 को वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर दावा की धारा 17 क के अनुसार ग्राम [illegible] तहत तहसील मंडावा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 519 रकबा 1.46 है0, खसरा नम्बर 520 रकबा 1.20 है0, खसरा नम्बर 521 रकबा 1.1900 है0, खसरा नम्बर 522 रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर 530 रकबा 0.83 है0, खसरा नम्बर 531 रकबा 0.5000 है0, खसरा नम्बर 532 रकबा 0.6500 है0, खसरा नम्बर 533 रकबा 2.700 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 9.[illegible] है0 बाबत तहसीलदार मंडावा को 500/- रूपये मौका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त [illegible] जाकर आदेशित किया जाता है कि वह वादी एवं प्रतिवादीगण के दर्ज हक हिस्से की [illegible] तक दोनो पक्षो की मौजूदगी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 के नियम 18 से 21 तथा राजस्व मंडल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.09.2020 के अनुसार [illegible] प्रारूप में विभाजन प्रस्ताव 7 दिवस में पेश करें। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक [illegible]/2022/718 दिनांक 03.06.2022 को विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किया गया [illegible] विभाजन प्रस्ताव शामिल मिशल किया जाकर विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] का अवलोकन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील पक्षकारान सुनी [illegible] विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार होना जाहिर है। अतः [illegible] विवेचन के आधार पर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

निर्णय

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निर्णय लिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। [illegible] निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार मंडावा को [illegible] जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-06-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
([illegible] राज.)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखंड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी— शैलेश खैरवा (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर 124 / 2021

उनवान

विकास बनाम कमला वगै०

दावा बाबत घोषणार्थ, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखलयाबी हेतु

दिनांक 20-06-2022

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विजय पाल सिंह एवं राज्य सरकार की ओर से श्री [illegible] सैनी उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 20-06-2022 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुहर सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	3	स्टाम्प वकालतनामा	00
स्टाम्प वकालतनामा	26	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर	500	बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफर्रिक	00
योग	529		

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू